



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE/Co-Ord/APAAR ID/2025-2026

दिनांक: 09.09.2025

सेवामें,
प्रधानाचार्य
सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूल
(संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से)

विषय: सत्र 2025-2026 के लिए एलओसी डेटा से जुड़ी APAAR ID प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में आंशिक छूट,

महोदया/महोदय

APAAR, जिसका पूरा नाम 'Automated Permanent Academic Account Registry' (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) है, भारत के सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान/ID' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों को APAAR ID बनाने के लिए पर्याप्त समय मिले, सीबीएसई ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं: -

1. परिपत्र संख्या CBSE/IT & Projects/APAAR ID/2025 दिनांक 24.01.2025। लिंक: https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Circular_Implementation_APAAR_ID_24012025.pdf 2. शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा X और XII के उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने के संबंध में दिनांक 30.07.2025 और 27.08.2025 के परिपत्र।

बोर्ड पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता सुनिश्चित करने में APAAR ID के महत्व को दोहराता है।

आप अवगत हैं कि APAAR ID निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

- एकीकृत और आजीवन शैक्षणिक पहचान
- शैक्षणिक स्तरों के बीच निर्बाध बदलाव
- संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण
- प्रवेश और रोजगार के लिए सरलीकृत सत्यापन
- लक्षित विकास के लिए कौशल अंतर विश्लेषण

तथापि, बोर्ड को विभिन्न राज्यों के कई स्कूलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपने छात्रों के लिए APAAR ID बनाने में तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का उल्लेख किया है। इन चुनौतियों में शामिल हैं:

- विभिन्न पोर्टलों के बीच एकीकरण में कठिनाई।
- स्कूल और आधार (Aadhaar) रिकॉर्ड में एक ही छात्र का अलग-अलग डेटा होना।
- सुधार/अद्यतन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय, आदि।
- अभिभावकों की सहमति का अभाव।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

कक्षा X और XII के लिए एलओसी जमा करने से जुड़ी गतिविधियों की समय-सीमा को देखते हुए, स्कूलों को निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है: -

1. यदि माता-पिता की सहमति न होने के कारण APAAR ID जेनरेट नहीं हो पाती है, तो स्कूलों को माता-पिता द्वारा सहमति न देने की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और एलओसी में APAAR के सामने "REFUSED" लिखना चाहिए।
2. यदि अन्य कारणों से APAAR ID जेनरेट नहीं हो पाती है, तो APAAR के सामने "NOGEN" लिखना चाहिए।
3. बाकी सभी मामलों में, APAAR ID लिखी जानी चाहिए।

यह आशा की जाती है कि ऊपर दिए गए निर्देशों से तय समय के भीतर एलओसी को बिना किसी गलती के जमा करने में आसानी होगी। यदि कोई कठिनाई आती है, तो स्कूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी जानकारी दे सकते हैं।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

नीचे दर्शाए गए संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को प्रतिलिपि भेजी जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों तक यह जानकारी पहुँचाएँ:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली -110016. commissioner-kvs@gov.in
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309. nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054 diredu@nic.in
4. लोक अनुदेशन निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017 dpi-chd@nic.in
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101 directorhehrdd@gmail.com
6. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111 dhearunachal@rediffmail.com
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101 nocbseani@gmail.com
8. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली - 110001 tmls-mod@nic.in
9. सचिव एडबल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, FDRC भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के निकट), दिल्ली कैट 110010 coordsection.aweshq@awesindia.edu.in
10. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। nests-tribal@tribal.gov.in, commissioner.nests@tribal.gov.in
11. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, N-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा 751005 parag.g@nic.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

12. नेवी एजुकेशन सोसाइटी (NES), नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक V, विंग II, फ्लोर II, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066. nesnavy@gmail.com
13. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, 'A' ब्लॉक, I फ्लोर, पेरुथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फुट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी - 605 005. dse-edn@py.gov.in
14. प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय, अपर बायावु हिल, कोहिमा, नागालैंड- 797121 dio-khm@nic.in, DirectorateSE@gmail.com, examInfoDose@gmail.com
15. निदेशक, स्कूल शिक्षा लद्दाख, कमरा नंबर 101, 102, ग्राउंड फ्लोर, काउंसिल सचिवालय, कुरबाथांग, कारगिल - लद्दाख 194103. dseladakh@gmail.com
16. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, शिक्षा भवन, अगरतला, त्रिपुरा 799001 director.sed-tr@gov.in
17. निदेशक, स्कूल शिक्षा, ईएसएस सेक्टर, ईटानगर- 791111 secyedup@gmail.com



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

